

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 85/2019 राजस्व अपील

1. कन्हैया पुत्र अर्जुन
2. रामस्वरूप पुत्र अर्जुन
3. हजारी पुत्र अर्जुन
4. पून्या उर्फ पूनीराम पुत्र अर्जुन
5. जयराम पुत्र बाल्या
6. छोदू उर्फ छोटेलाल पुत्र बाल्या

जाति माली निवासी गढ
तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 10.09.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगैराह, प्रकरण सं. 71/2018 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक: 22.01.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके रामा गढ तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट्स के विरुद्ध दिनांक 10.09.2018 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट्स को कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 0.90 का पचास गुणा शास्ति 45/-रूपये आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये तथा अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट्स को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नहीं रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स का




प्रति. जिला कलेक्टर
दौसा



कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 मुकदमा नम्बर 71/2018 उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगैराह निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.10 है। पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.10 है। पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 71/2018 उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

